

प्रेषक,

राज प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
समर्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–10

लखनऊ: दिनांक: 11 जनवरी, 2010

विषय: वर्ष 2009–10 में ओलावृष्टि के पूरक यथा—अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत राहत कार्य हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में ओलावृष्टि के पूरक यथा—अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहर के प्रकोप से गृह विहीन/निराश्रित/असहाय तथा कमज़ोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु निःशुल्क कम्बल वितरण हेतु रु0 1,48,750/- (रुपया एक लाख अड़तालिस हजार सात सौ पचास मात्र) प्रति तहसील की दर से कम्बल आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लि0, लखनऊ को रु0 2,81,13,750/- एवं उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लि0, लखनऊ को रु0 1,82,96,250/- अर्थात कुल धनराशि रु0 4,64,10,000/- (रुपये चार करोड़ चौसठ लाख दस हजार मात्र) संलग्न मण्डलवार (जनपद एवं तहसीलों की संख्या सहित) सूची के अनुसार निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

(अ) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य हरकरघा निगम लि0, लखनऊ द्वारा झाँसी, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, फैजाबाद, चित्रकूट धाम, मिर्जापुर, आज़मगढ़, बस्ती, देवीपाटन मण्डल तथा प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लि0, लखनऊ द्वारा मेरठ, आगरा, अलीगढ़, बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद एवं कानपुर मण्डल में कम्बल की आपूर्ति जनपद मुख्यालय पर एक सप्ताह में आपूर्ति करना सुनिश्चित करेंगे।

(ब) आपूर्ति किये जाने वाले कम्बल की लम्बाई कम से कम 235 सेमी0 चौड़ाई कम से कम 140 सेमी0 तथा वजन कम से कम 2.2 किमी0 का

होना चाहिए। इन कम्बलों में कम से कम 70 प्रतिशत ऊन होना चाहिए तथा पुराने यार्न का प्रयोग नहीं होना चाहिए।

(स) उक्त मानक के प्रति कम्बल हेतु रु 297.50 की दर से धनराशि का भुगतान किया जायेगा तथा 500 कम्बल प्रति तहसील आपूर्ति की जायेगी।

(द) उक्त इगित गुणवत्ता का कम्बल जनपद मुख्यालय पर पहुंचाने का मार्ग व्यय सम्बन्धित संस्था द्वारा ही वहन किया जायेगा।

(य) आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा आपूर्ति किये गये कम्बल का जिलाधिकारी द्वारा एक-एक मानक सैम्पुल मुख्यालय पर रखा जायेगा, जिसका वितरण कदापि नहीं किया जायेगा, ताकि कम्बल की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। जिलाधिकारी उक्त संस्था द्वारा आपूर्ति किये जाने कम्बलों को प्राप्त करने हेतु अवकाश के दिनों में भी सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित करेंगे तथा कम्बलों की आपूर्ति अनिवार्य रूप से प्राप्त करेंगे।

(र) संस्था से प्राप्त कम्बलों का वितरण जिलाधिकारी की देखरेख में पात्र लाभार्थियों को ही किया जायेगा। यदि पात्र लाभार्थियों के अतिरिक्त कम्बल वितरण में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होती है, तो इसके लिये जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(ल) उक्त संस्था निर्धारित संख्या/निर्धारित समय में कम्बल की आपूर्ति नहीं कर पाती है तो उसका आपूर्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा। मानक के अनुसार कम्बलों की आपूर्ति करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्था के प्रबन्ध निदेशक का होगा।

(व) उक्त संस्थाओं को इस आशय का टैग लगाना होगा, जिस पर सम्बन्धित संस्था का नाम कम्बल की लम्बाई, चौड़ाई एवं वजन का विवरण होगा। यह भी अंकित होगा कि यह कम्बल राजस्व विभाग के सौजन्य से निःशुल्क निराश्रित को वितरित किया जा रहा है, जो बिक्री योग्य नहीं है।

(श) निराश्रित/असहाय तथा कमज़ोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से बचाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा बिना समय गवायें जरूरत मन्द व्यक्तियों को समय से यह सुविधा अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी की पूरी अवधि हेतु प्राप्त हो सके तथा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी के कारण किसी की मृत्यु न हो।

(स) कम्बल के आपूर्ति की सूचना एवं व्यय हुई धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लि0, लखनऊ

एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लि0, लखनऊ द्वारा शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।

(ह) निराश्रित एवं असहाय तथा कमज़ोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के चिन्हीकरण के लिए वृद्धावस्था पेंशन/विधवा पेंशन/अन्योदन कार्ड की प्रतीक्षा सूची, भूमिहीन, बीमार, अत्यधिक वृद्धजनों को प्राथमिकता दी जाय। विधवा पेंशन की प्रतीक्षा सूची में से अल्प संख्यक बच्चों व अत्यधिक वृद्ध विधवाओं का तथा नगरीय क्षेत्रों में मलिन बरितयों व ग्रामीण क्षेत्र के पिछड़े मजरों में निवास करने वाले विशेषकर कमज़ोर वर्ग के वृद्ध व बीमार पुरुष/महिला को प्राथमिकता दी जाय। उपरोक्त के कम में निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को बिना विलम्ब के प्राप्त कम्बलों को कैम्प लगाकर वितरित करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि लगभग प्रत्येक ग्रामों में निर्धनतम व्यक्तियों को कम्बल अवश्य वितरित हो जाय। कम्बल के समय जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाय।

2— उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009—10 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या—51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक “2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत—आयोजनेत्तर—05—आपदा राहत निधि—800—अन्य व्यय—03—आपदा राहत निधि से व्यय—42—अन्य व्यय” के नामे डाला जायेगा।

3— आपदा राहत निधि की उक्त धनराशि दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता वितरण करने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या—जी0आई0—134/1—11—2007—46/97, दिनांक 31 जुलाई, 2007 तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय।

4— उक्त स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2009—10 में गृह विहीन/निराश्रित/ असहाय तथा कमज़ोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु निःशुल्क कम्बल आपूर्ति पर ही व्यय की जायेगी। इससे पूर्व वर्षों के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जायेगा।

5— उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लि0, लखनऊ एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लि0, लखनऊ द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड—5 भाग—1 के प्रस्तर—369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या—42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

.4-

2

6— उक्त संस्थाओं द्वारा की गई कम्बल आपूर्ति का जिला स्तर पर समुचित लेखा—जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय।

7— व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

संलग्नक : यथोपरि।

2

(राज प्रताप सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या — 57(1) / 1-10-2010-12(34) / 2003, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा) / महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2. समस्त मण्डलायुक्त।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
4. आहरण एवं वितरण अधिकारी, राजस्व अनुभाग-3 (लेखा) को उक्त शासनादेश की 03 प्रतियों इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त धनराशि का ट्रेजरी चेक उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लि0, लखनऊ तथा उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लि0, लखनऊ के पक्ष में निर्गत कराते हुये अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लि0, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लि0, लखनऊ।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
9. समीक्षाधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग-10 / राजस्व अनुभाग-6 / 11 / राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
10. चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

2

(राज प्रताप सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या – 57 / 1-10-2010-12(34) / 2003

दिनांक 11 जनवरी, 2010 का संलग्नक

मण्डल का नाम	जनपद का नाम	तहसीलों की संख्या	आवंटित धनराशि
1 सहारनपुर	1 सहारनपुर	5	743750
	2 मुजफ्फरनगर	6	892500
2 मेरठ	3 मेरठ	3	446250
	4 गाजियाबाद	4	595000
	5 बुलन्दशहर	7	1041250
	6 गौतमबुद्ध नगर	3	446250
	7 बागपत	3	446250
	8 आगरा	6	892500
	9 मथुरा	4	595000
3 आगरा	10 फिरोजाबाद	4	595000
	11 मैनपुरी	3	446250
	12 अलीगढ़	5	743750
	13 एटा	3	446250
4 अलीगढ़	14 कांशीराम नगर	3	446250
	15 महामायानगर	4	595000
	16 बरेली	6	892500
5 बरेली	17 बद्रीयू	6	892500
	18 शाहजहांपुर	4	595000
	19 पीलीभीत	3	446250
	20 मुरादाबाद	6	892500
6 मुरादाबाद	21 रामपुर	6	892500
	22 विजनौर	5	743750
	23 ज्योतिबाफुलेनगर	3	446250
	24 कानपुर नगर	3	446250
	25 कानपुर देहात	5	743750
	26 इटावा	5	743750
	27 फर्रुखाबाद	3	446250
7 कानपुर	28 कन्नौज	3	446250
	29 औरेया	2	297500
	30 इलाहाबाद	8	1190000
	31 फतेहपुर	3	446250
8 इलाहाबाद	32 प्रतापगढ़	5	743750
	33 कौशम्बी	3	446250
	34 झॉसी	5	743750
	35 ललितपुर	3	446250
9 झॉसी	36 जालौन	5	743750
	37 हमीरपुर	4	595000
	38 महोबा	3	446250
	39 बौदा	4	595000

2
200

संख्या – 57 / 1-10-2010-12(34) / 2003

दिनांक 11 जनवरी, 2010 का संलग्नक

मण्डल का नाम	जनपद का नाम	तहसीलों की संख्या	आवंटित धनराशि
	40 चित्रकूट	2	297500
11 बाराणसी	41 बाराणसी	2	297500
	42 जौनपुर	6	892500
	43 गाजीपुर	5	743750
	44 चंदौली	3	446250
12 मिर्जापुर	45 मिर्जापुर	4	595000
	46 सोनभद्र	3	446250
	47 संतरविदास नगर	3	446250
13 आजमगढ़	48 आजमगढ़	7	1041250
	49 मऊ	4	595000
	50 बलिया	6	892500
14 गोरखपुर	51 गोरखपुर	7	1041250
	52 महाराजगंज	4	595000
	53 देवरिया	5	743750
	54 कुशी नगर	4	595000
15 बस्ती	55 बस्ती	4	595000
	56 सिद्धार्थ नगर	5	743750
	57 सन्ताकबीर नगर	3	446250
16 लखनऊ	58 लखनऊ	4	595000
	59 उन्नाव	5	743750
	60 रायबरेली	7	1041250
	61 सीतापुर	6	892500
	62 हरदोई	5	743750
	63 खीरी	6	892500
17 देवीपाटन	64 गोण्डा	4	595000
	65 बहराइच	4	595000
	66 बलरामपुर	3	446250
	67 श्रावारस्ती	2	297500
18 फैजाबाद	68 फैजाबाद	5	743750
	69 सुल्तानपुर	7	1041250
	70 बाराबंकी	6	892500
	71 अन्धेड़कर नगर	5	743750
	कुल योग	312	46410000

(रुपये चार करोड़ चौसठ लाख दस हजार मात्र)


(आर०पी० सिंह)
प्रमुख सचिव